

न्यायालय:-माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय-बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /12/2018

Filing No. CRR/252/2018

संस्थित दिनांक- 21.02.2018

CNR-MP500 5000 350 2018

संजय कुमार अत्री पिता श्री धनराज अत्री जाति ब्राम्हण  
निवासी-सेक्टर 21-ए फरीदाबाद (हरियाणा) की ओर से मुख्त्यार खास  
जयसिंह पिता महावीर सिंह जाति राजपूत  
निवासी-सुभाषपुरा बिकानेर (राजस्थान)

— — पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा:- पुलिस थाना मलाजखण्ड  
तहसील बिरसा जिला बालाघाट

— — — — उत्तरवादी

न्यायालय: श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा अपराध  
क्रमांक 13/2018 में पेश आवेदन अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. में दिनांक 20.02.  
2018 को आदेश पारित कर निरस्त किए जाने से व्यथित होकर यह  
पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री सुनिल बेले अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।  
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

— // // आदेश // // —  
(आज दिनांक 23 फरवरी 2018 को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अधीन  
न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आवेदन

अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. में दिनांक 20.02.2018 को आदेश पारित कर सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2— पुनरीक्षणकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. को पेश कर थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक 13/18 धारा 5, 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा क्रमांक एच.आर. 38-एक्स-1798 का वह पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन कम्पनी के दैनिक उपयोग का वाहन है। सेस्मिक डिटोनेटर ओ.एन.जी.सी. को ले जाने का कार्य करती है, वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.02.2018 को आवेदन निराकृत करते हुए निरस्त किया है।

3— पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण का आधार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता का वाहन महिन्द्रा क्रमांक एच.आर. 38-एक्स-1798 अपराध क्रमांक 13/2018 5, 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम में जप्त किया गया है। उक्त वाहन का मालिक संजय कुमार अत्री पिता धनराज अत्री जयमाता इंटरप्राइजेस कंपनी का प्रोप्राईटर है। उक्त वाहन पुनरीक्षणकर्ता के कंपनी के दैनिक उपयोग करने वाली वस्तु है। सेस्मिक डिटोनेटर ओ.एन.जी.सी. को ले जाने का कार्य करती है, वर्तमान में उक्त वाहन उड़ीसा, बिहार में आईल व गैस की खोज करने ले जाया जा रहा था, निमयानुसार जिस मार्ग से वाहन को जाना था, वाहन चालक इस क्षेत्र में पहली बार आने के कारण मार्ग से भटक गया, संबंधित थाना क्षेत्राधिकार में चला गया, पुलिस के द्वारा झूठा मामला बनाकर पेश किया गया है। आईल, गैस की खोज की जा रही है, खोज करने में परेशानी हो रही है, एक ही स्थान पर वाहन खड़ा रहने से यांत्रिकी खराबी आवेगी। वाहन में रखे ज्वलनशील पदार्थ से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, वाहन के संचालन हेतु अत्यंत आवश्यकता है, सुपुर्दनामे पर मय दस्तावेज के प्राप्त करना चाहता है।

वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त कर मामले के अंतिम निराकरण तक सुरक्षित रखने तैयार है। पुनरीक्षणकर्ता समस्त आदेशों का पालन करने तैयार है। आदेश दिनांक 20.02.2018 अपास्त कर जप्तशुदा उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की है।

4— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। पुलिस थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक 13/2018 धारा 5, 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम की केस डायरी एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2018 का अवलोकन किया गया। जप्तीपत्र के अनुसार चाही गई संपत्ति मय दस्तावेज के जप्त है। वाहन स्वामी आवेदक संजय कुमार अत्री आज इस न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित है। आवेदक ने स्वयं का आधार कार्ड क्रमांक **7828 2687 4658** पेश किया। साथ में छायाप्रति पेश की। असल से छायाप्रति मिलान कर असल आधार कार्ड आवेदक को वापस किया गया। छायाप्रति कार्यवाही के साथ संलग्न की गई।

5— केस डायरी के साथ संलग्न जप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों में दिनांक 12.02.2018 की मोटरयान कर की रसीद क्रमांक 78795/40 यान क्रमांक एच.आर. 38-एक्स-1798 के लिए 350/-रुपया परिवहन चैक पोस्ट रजेगांव द्वारा माह फरवरी 2018 के लिए जारी की गई है। शेष यान के दस्तावेज पूर्ण है, बीमित है। भरे हुए माल के संबंध में दस्तावेज हैं। पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

6— अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण क्रमांक 12/2018 स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है और आदेशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता संजय कुमार अत्री स्वयं नियमानुसार 5,00,000/- {पांच लाख} रूपए का स्वयं का छायाचित्रयुक्त सुपुर्दनामा निष्पादित कर न्यायालय श्री दिलीप सिंह न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की संतुष्टि योग्य पेश करे, तो जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा क्रमांक एच.आर. 38-एक्स-1798, वाहन में भरी हुई विस्फोटक सामग्री तथा वाहन और सामग्री से संबंधित असल दस्तावेज को सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश जारी हो।

7— आदेश की एक प्रति न्यायालय-श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर सूचनार्थ पालनार्थ भेजी जावे।

8— इस आदेश की एक प्रति अपराध क्रमांक 13/2018 धारा 5, 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम की केस डायरी के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

9— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर